

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2023/09

दिनांक 23 जनवरी, 2023

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यू.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	नरेन्द्र कुमार	संगीत	राज. महिला महा., अलवर	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	नरेन्द्र कुमार	इतिहास	राज.महा. जैतारण (पाली)	रिफ्रेशर	27.01.2023 से 10.02.2023 तक	जयनारायण व्यास वि. वि. जोधपुर
3	संजीव कुमार	भूगोल	राज.महा. झुंझूनी	रिफ्रेशर	27.01.2023 से 10.02.2023 तक	जयनारायण व्यास वि. वि. जोधपुर
4	कविता चौधरी	भूगोल	राज.महा. झुंझूनी	रिफ्रेशर	27.01.2023 से 10.02.2023 तक	जयनारायण व्यास वि. वि. जोधपुर
5	रविन्द्र सिंह	रसायनशास्त्र	एम.एस.जे. राज. महा, भरतपुर	रिफ्रेशर	07.02.2023 से 21.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	अमित कुमार रैकवार	इतिहास	एम.एस.जे. राज. महा, भरतपुर	रिफ्रेशर	07.02.2023 से 21.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
7	योगेश कुमार	विधि	राज.विधि महा., अलवर	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
8	मीना कुमारी मीणा	एबीएसटी	राज.महा. रामगंजमण्डी	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालन सुनिश्चित करें :-

- प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।



(डॉ शैला महान)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)